

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

ज्ञापांक:-6/एन0-02-04/2022.....

दिनांक- / /2026

राज्य के सरकारी प्रक्षेत्र में संचालित ए0एन0एम0 स्कूल, जाले, दरभंगा में नियमित प्राचार्य पदस्थापित नहीं है, जिसके कारण वित्तीय कार्यों के सुलभ निष्पादन हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, जाले, दरभंगा को नियमित प्राचार्य के पदस्थापन होने तक बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-84 के तहत अपने कार्यों के अतिरिक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (वित्तीय शक्ति) का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2-नियमित प्राचार्य के पदस्थापन के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

3-एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

4-प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शैलेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-6/एन0-02-04/2022..... 05 (6B)...../पटना, दिनांक:-.....08.../01.../2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, जाले, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी प्राचार्य, ए0एन0एम0 स्कूल, जाले, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 07ए0, 07बी0, 08 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।